

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जबलपुर

(टेन्ट-शामियाना, लाईट-माईक, साउण्ड, वीडियोग्राफी, एवं फोटोग्राफी हेतु निविदा)

संशोधित निविदा सूचना

क्रमांक/स्था0निर्वा./2020/...349.

जबलपुर, दिनांक 21 /12/2020

नगरीय निकाय/त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन 2020-21 को संपन्न कराये जाने हेतु चुनाव में उपयोग होने वाले विभिन्न सामग्रियों जैसे विद्युत लाईट, माईक, साउण्ड एवं साज-सज्जा, टेंट (कनाते, कुर्सी, टेबल, फर्श आदि), फोटोग्राफी एवं विभिन्न विधान सभा क्षेत्रों में महत्वपूर्ण घटनाओं (क्रिटिकल एवं निर्वाचन विधि का उल्लंघन) की वीडियोग्राफी करने के लिए वीडियोग्राफरो से वीडियो कैमरा/डिजीटल कैमरा आदि प्रति नग प्रति दर से सीलबंद निविदाएं निम्नानुसार आमंत्रित की जाती है।

क्र	निविदाएं	निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	निविदा खुलने की तिथि	धरोहर राशि
1	टेन्ट एवं शामियाना इत्यादि कार्य हेतु निविदा	29/12/2020 दोपहर 12:00बजे तक	29/12/2020 दोपहर 02:00 बजे तक	29/12/2020 दोपहर 03:00 बजे तक	10,000/-
2	विद्युत साज-सज्जा, लाईट, माईक कार्य हेतु निविदा	29/12/2020 दोपहर 12:00बजे तक	29/12/2020 दोपहर 02:00 बजे तक	29/12/2020 दोपहर 03:00 बजे तक	10,000/-
3	वीडियोग्राफी कार्य हेतु निविदा	30/12/2020 दोपहर 12:00बजे तक	30/12/2020 दोपहर 02:00 बजे तक	30/12/2020 दोपहर 03:00 बजे तक	10,000/-
4	फोटोकामी कार्य हेतु निविदा	30/12/2020 दोपहर 12:00बजे तक	30/12/2020 दोपहर 02:00 बजे तक	30/12/2020 दोपहर 03:00 बजे तक	10,000/-

निविदा प्रपत्र कार्यालयीन समय (अवकाश को छोड़कर) में कक्ष क्रमांक 108, कार्यालय कलेक्टर, जबलपुर से रूपये 500 नगद या डी.डी. जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। या बेवसाईड www.jabalpur.nic.in से डाउन लोड किया जा सकता है। डाउन लोड करने पर निविदा प्रपत्र की कीमत 500/- (डी.डी. के रूप में जो कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जबलपुर के नाम देय होगा)। निविदाकार को उपरोक्तानुसार धरोहर राशि 10,000 ₹00 राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जबलपुर के नाम जमा करना होगा।

निविदा शर्तें, सामग्री की सूची एवं विस्तृत जानकारी कार्यालयीन कार्य दिवसों एवं समय में उपरोक्तानुसार प्राप्त की जा सकती है। प्राप्त निविदाएं उपस्थित निविदाकर्ताओं के समक्ष उपरोक्त सूची अनुसार खोली जायेंगी।


कलेक्टर

एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
(स्थानीय निर्वाचन) जबलपुर

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जबलपुर

क्रमांक/स्था0निर्वा./2020/310

जबलपुर, दिनांक: 07/12/2020

(निविदा सूचना)

नगरीय निकाय/त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन 2020-21 के लिए विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण घटनाओं (क्रिटिकल एवं निर्वाचन विधि का उल्लंघन) की वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी करने के लिए वीडियोग्राफरो से वीडियो कैमरा/डिजिटल कैमरा प्रति नग प्रति दर से सीलबंद निविदाएं दिनांक 22/12/2020 समय दोपहर 12:00 बजे तक निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदाये दिनांक 21/12/2020 को सांय 05:30 बजे तक कलेक्टर कार्यालय कक्ष क्रमांक 108 जबलपुर से 500 रूपये का नगद या डिमांड ड्रॉफ्ट जमा कर प्राप्त की जा सकती है या बेवसाइड www.jabalpur.nic.in से डाऊन लोड किया जा सकता है। डाउन लोड करने पर निविदा प्रपत्र की कीमत 500/- (डी.डी. के रूप में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जबलपुर के नाम देय होगा) भुगतान करना आवश्यक होगा। तथा निविदा दिनांक 22/12/2020 को दोपहर 12:00 बजे अपरान्ह तक कक्ष क्रमांक 74 कलेक्टर कार्यालय, जबलपुर में प्रस्तुत की जा सकती है।

निविदा प्रपत्र चुनाव प्रसार एवं मतदान के समय की वीडियो ग्राफी हेतु निविदा

कार्य क्षेत्र एवं सामान्य शर्ते :-

- 1 निविदा सीलबंद लिफाफा जिस पर “ वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी” के लिये लिखा होना आवश्यक है।
- 2 निविदाओं हेतु निविदा प्रपत्र कार्यालयीन समय (अवकाश दिवस को छोडकर) कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कक्ष क्रमांक 108 जबलपुर में निर्धारित राशि का नगद या डिमांड ड्रॉफ्ट जमा कर या बेवसाइड www.jabalpur.nic.in से फार्म को डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है। बेवसाइड से डाउनलोड निविदा प्रपत्र को स्वीकार किया जावेगा, किन्तु उक्त स्थिति में निविदाकार को पृथक से कलेक्टर जबलपुर के नाम से निर्धारित निविदा प्रपत्र राशि का डिमांड ड्रॉफ्ट निविदा के लिफाफे भाग 01 के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा, तथा नगद राशि स्वीकार्य नहीं होगी।
- 3 निविदा दो लिफाफा पद्धति के अनुरूप होगी। निविदाकार को एक लिफाफे भाग 01 व भाग-03 में निविदा प्रपत्र, फार्म की राशि की रसीद/डीडी, अमानत राशि की रसीद/डीडी, पेन नं, जीएसटी नं. अनुभव प्रमाण-पत्र, आयकर रिटर्न, टर्नओवर प्रमाण पत्र, वीडियो ग्राफरो की संख्या प्रपत्र इत्यादि तथा दूसरा लिफाफा भाग 02 में केवल वित्तीय प्रस्ताव देना होगा। दोनों लिफाफा भाग-1 एवं भाग-02 सील बंद कर एक बडे लिफाफे में रख कर जमा करना होगा।

- 4 निविदा निर्धारित मूल प्रपत्र में प्रस्तुत की जाना चाहिये और निविदादाता द्वारा इसे हस्ताक्षरित होना चाहिये तथा निविदा सील बंद लिफाफे में प्रस्तुत की जाना चाहिये।
- 5 निविदा के साथ अमानत राशि रू. 10,000/- (अकंन दस हजार रूपये मात्र) डीडी एवं निविदा फार्म राशि 500 रू0 नगद/डीडी (अकंन पाँच सौ रूपये मात्र) द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जबलपुर के पक्ष में जमा करें। नियत समय से पूर्व निविदा प्राप्त करना होगा। सफल निविदाकार की अमानत राशि को छोड़कर शेष निविदाकारों की राशि निविदा स्वीकृत होने के एक माह के अंदर वापिस की जावेगी।
- 6 प्राप्त निविदाओं के समस्त बंद लिफाफे जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियुक्त समिति के समक्ष खोले जावेंगे, जिन निविदाकर्ताओं के साथ अमानत की राशि का बैंक ड्राफ्ट संलग्न नहीं होगा वह निविदा अस्वीकृत कर दी जावेगी। जिस निविदादाता की निविदा स्वीकृत होगी उसके द्वारा जमा अमानत राशि जो कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के पक्ष में देय होगी, को छोड़कर अन्य निविदाकारों की जमा अमानत राशि एक माह के भीतर वापिस की जावेगी।
- 7 स्वीकृत निविदादाताओं को वीडियो कैसेट/डी.व्ही.डी. स्वयं उपलब्ध कराना होगा।
 - 7.1 कार्य दिवस, बगैर कार्य दिवस, की दरें पृथक-पृथक दी जावे।
 - 7.2 निविदादाता को 9 विकास खंडों पर एक साथ 200 वीडियोग्राफर उपलब्ध कराने की क्षमता होनी चाहिए, आवश्यकतानुसार वीडियोग्राफर/फोटोग्राफर की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है।
- 8 निविदा प्रस्तुत करने वाली निविदादाता को निम्न शर्तों का पालन करना आवश्यक है।
 - 8.1 निविदाकर्ता को कम से कम एक लोक सभा/विधान सभा/स्थानीय निर्वाचन में वीडियोग्राफी कार्य या अन्य किसी बड़े कार्य करने का जहाँ 100-150 कैमरे एक साथ संचालित करने का अनुभव या केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के किसी बड़े संस्थान, कंपनी में एक वर्ष में कम से कम 20.0 लाख रूपये के वीडियोग्राफी का कार्य करने का अनुभव होना चाहिये। अनुभव प्रमाण-पत्र सलंगन करना होगा।
 - 8.2 यह निविदा स्वीकृत होने की तिथि से एक वर्ष तक की अवधि तक प्रभावशील रहेगी।
 - 8.3 निविदादाता का विगत तीन वर्षों (2017-18, 2018-19 व 2019-20) का वार्षिक टर्नओवर 15.0 लाख से कम नहीं होना चाहिए। इसके लिए चार्टर्ड एकाउण्टेंट/अधिवक्ता आयकर से प्रमाणित होना चाहिए।
 - 8.4 निविदादाता का किसी राजनैतिक दल अथवा अभ्यर्थी से कोई संबंध नहीं होना चाहिये। निविदादाता किसी भी राजनैतिक पार्टी अथवा अभ्यर्थी से चाय, नाश्ता, खाना इत्यादि ग्रहण नहीं करेगा, यदि इसका उल्लंघन पाया गया तो निविदा निरस्त कर दी जावेगी।

- 8.5 निविदादाता या उसका अधिकृत व्यक्ति अपनी ड्यूटी के दौरान अनुपस्थित नहीं रहेगा। ड्यूटी के दौरान निविदादाता और दल को चाय नाश्ता, भोजन देने का प्रबंध निविदाकर्ता द्वारा किया जावेगा।
- 8.6 निविदादाता सीधे जिला निर्वाचन अधिकारी अथवा उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य करेगा।
- 8.7 निविदादाता का कार्य क्षेत्र तथा आवश्यक कैमरों की संख्या परिशिष्ट -1, 2 तथा 3 के अनुसार होगी।
- 8.8 निविदादाता वीडियो कैसेट पूर्ण होने तक कैसेट की सुरक्षा के लिये पूर्णतः जिम्मेदार होगा। वीडियो कैसेट पूर्ण होने पर निविदादाता तत्काल उक्त कैसेट एवं सी.डी. को जिला निर्वाचन अधिकारी अथवा उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी को सौंपेगा। तत्पश्चात् उस कैसेट एवं सी.डी. /डी.व्ही.डी. की जिम्मेदारी जिला निर्वाचन अधिकारी की होगी।
- 8.9 प्रत्येक खंड के कार्य का विस्तृत ब्यौरा जिला निर्वाचन अधिकारी अथवा अधिकृत अधिकारी द्वारा निविदादाता को यथा समय उपलब्ध कराया जावेगा।
- 8.10 निविदादाता प्रतिदिन की प्रगति रिपोर्ट जिला निर्वाचन अधिकारी अथवा उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।
- 8.11 निविदा स्वीकृत हो जाने के उपरांत निविदादाता की ये जिम्मेदारी होगी कि कार्य निर्वाध रूप से निरंतर चलता रहे। किसी भी तरह के विलंब अथवा रूकावट के लिये उसे कोई भी भुगतान नहीं किया जावेगा तथा प्रतिभूति की राशि हर्जाना स्वरूप राजसात् कर ली जावेगी।
- 8.12 जिस निविदादाता की निविदा स्वीकृत होगी उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि निविदा प्रपत्र के भाग 1 में उसमें जितने वीडियो कैमरों की संख्या का उल्लेख किया गया है वे सभी कार्य हेतु उपलब्ध रहें।
- 9 जिला निर्वाचन अधिकारी को यह अधिकार होगा कि गुण दोष के आधार पर बिना कोई कारण बताये निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत कर सकता है।
- 10 निविदादाता निविदा प्रपत्र के परिशिष्ट 3 संलग्न प्रमाण पत्र में हस्ताक्षर कर निविदा के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करेंगे।
- 11 किसी भी विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी का रहेगा एवं न्यायालयीन क्षेत्र जिला जबलपुर ही रहेगा।
- 12 समय सीमा में कार्य पूर्ण न करना आदि कारणों से कायदेशि निरस्त करने एवं देयक कटौती करने के साथ धरोहर/अमानत राशि राजसात् करने के संबंध में निर्णय करने का पूर्ण अधिकार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जबलपुर को होगा।

- 13 निविदा स्वीकृत होने पर कार्यदेश के अनुसार कार्य न करने पर संबंधित संस्था पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। जिसकी जबाबदारी निविदाकार की होगी।
- 14 प्रथम निविदाकार द्वारा उक्त प्रस्ताव स्वीकार न करने की स्थिति में उसकी अमानत राशि राजसात करते हुये निविदाकार जो द्वितीय स्थान पर होगा, को आंमत्रित किया जाए। समिति द्वारा निर्धारित एल-1 दरो पर कार्य करने का प्रस्ताव दिया जाएगा।
- 15 यदि निविदादाता द्वारा निर्धारित शर्तें एवं प्रक्रिया तथा जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा समय समय पर दिये गये निर्देशों का उल्लंघन किया जाता है तो उसकी निविदा अस्वीकृत कर दी जावेगी एवं निविदादाता को किसी तरह का भुगतान नहीं किया जायेगा एवं किसी अन्य वीडियो ग्राफर से कार्य लिया जावेगा एवं उसे देय अतिरिक्त राशि का भुगतान संबंधित निविदादाता से वसूल किया जावेगा।
- 16 म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम में कोई परिवर्तन करने संबंधित निर्णय लेने के कारण अथवा चुनाव कार्यक्रम में होने वाले किसी भी परिवर्तन के कारण/संशोधित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार निविदित (कान्ट्रेक्टेटेड) दर से अपनी सेवा जिला निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध कराने के लिये बाध्य रहेगा। संशोधित चुनाव कार्यक्रम के कारण सेवा अवधि में होने वाली वृद्धि के लिये निविदादाता को देय सेवा शुल्क का निर्धारण जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निविदित दर को दृष्टिगत रखते हुए, किया जावेगा जो कि निविदादाता को मान्य होगा।
- 17 भारत शासन/म.प्र. शासन द्वारा निर्धारित जीएसटी आपके द्वारा दिये गये दर में सम्मिलित नहीं रहेगा, निर्धारित दर के अनुसार जीएसटी की राशि अलग से दर्शानी होगी तथा उपरोक्त टैक्सों का अग्रिम भुगतान करने के उपरांत ही आपके देयकों के भुगतान पर विचार किया जावेगा।
- 18 निविदा प्रस्तुत करने पर यह माना जावेगा कि, निविदाकार को उपरोक्त शर्तें स्वीकार है।
- 19 निविदा में वर्तमान जीएसटी क्रमांक आवश्यक रूप से लिखा जावे। बिना जीएसटी क्रमांक के निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
- 20 निविदा में आयकर का नम्बर दर्शाया जाना आवश्यक है। नम्बर न होने की दशा में नियमानुसार आयकर की राशि उनके देयकों में से काटी जा सकती है।
- 21 निविदा के प्रत्येक पृष्ठ निविदादाता द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिये।
- 22 निविदादाता अधिक जानकारी के लिये जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के कक्ष क्रमांक 108 में संपर्क स्थापित कर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते है।
- 23 सफल निविदाकार की निविदा मान्य करने पर कार्यदेश प्रदान करने के पूर्व जिला निर्वाचन अधिकारी, जबलपुर एवं निविदाकार के मध्य राशि 500/- रूपये के स्टाम्प पर एक लिखित अनुबंध/इकरारनामा किया जावेगा। अनुबंध उपरांत ही कार्यदेश दिया जाएगा। इस इकरारनामा के अंतर्गत सफल निविदाकार के असफल

होने पर अन्य व्यवस्था करने पर हुये अतिरिक्त व्यय की वसूली निविदाकार की अमानत राशि या राजस्व वसूली के रूप में की जा सकेगी।

- 24 निविदाकार का चयन सर्वप्रथम तकनीकी प्रस्ताव लिफाफा भाग-01 के अनुरूप होगा। तकनीकी प्रस्ताव में अनुत्तीर्ण होने की दशा में संबंधित निविदाकार का वित्तीय लिफाफा भाग-02 नहीं खोला जाएगा। चयन तकनीकी प्रस्ताव उत्तीर्ण होने के बाद अनुभव उसके द्वारा प्रस्तुत सामग्री स्टाक एवं वित्तीय प्रस्ताव के आधार पर किया जाएगा।
- 25 किसी भी कार्य के लिए केवल एक या दो निविदा प्राप्त होने की दशा में निविदाकार द्वारा प्रस्तुत दर या पूर्व निर्वाचन 2018-19 में स्वीकृत दर से 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। 10 प्रतिशत से अधिक दर होने की दशा में एल-01 को पूर्व निर्वाचन 2018-19 के स्वीकृत दर पर कार्य करने हेतु बाध्य होना पड़ेगा। एल-1 द्वारा कार्य न करने की दशा में एल-02 को उक्त दर पर कार्य करने हेतु आमंत्रित किया जाएगा।

कलेक्टर

एवं जिला निर्वाचन अधिकारी

जबलपुर (म.प्र.)

पृ..क्रं./स्था0निर्वा./2020/

जबलपुर, दिनांक: / /2020

प्रतिलिपि :-

- 1 सचिव, म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग, निर्वाचन भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल को सादर सूचनार्थ।
- 2 आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर को सादर सूचनार्थ।
- 3 उप जिला निर्वाचन अधिकारी, जबलपुर को सूचनार्थ।
- 4 मेसर्स को सूचनार्थ।

कलेक्टर

एवं जिला निर्वाचन अधिकारी

जबलपुर

- आवेदन पत्र -

प्रति,

जिला निर्वाचन अधिकारी
जबलपुर (म.प्र.)

विषय :- वीडियो ग्राफी एवं फोटो ग्राफी हेतु दिनांक / /2020 को समाचार पत्र
में प्रकाशित निविदा अनुसार प्रस्तुत सामग्री का दर।

मैं पिता का नाम
.....उम्र फर्म का नाम एवं पता
..... जीएसटी क्रमांक आयकर हेतु पेन नं.
..... है। इस आवेदन के साथ कलेक्टर जबलपुर के पक्ष में बैकर्स
चैक/डी.डी. क्रं. दिनांक राशि.....
(जारी बैंक का नाम) प्रस्तुत कर रहा हूँ।

इस पत्र के साथ संलग्न सूची अनुसार समस्त सामग्रियों के नाम के सामने
प्रपत्र अनुसार दर्ज है, तथा पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर रहा हूँ।

हस्ताक्षर एवं सील

भाग/परिशिष्ट - 1 (तकनीकी प्रस्ताव)
निविदादाता के व्यवसाय का ब्यौरा
(निविदादाता द्वारा भरा जावेगा)

1. निविदाकार का नाम और पता -.....
.....
2. निविदाकार/संस्था/सोसायटी -.....
(संगठन/साझेदारों की संख्या)
3. अनुभव (प्रमाण-पत्र संलग्न करें।) -.....
4. पिछले तीन वर्षों में व्यापार का टर्न -.....
ओवर (आपका रिटर्न की प्रति संलग्न करें।)
5. पैन नं. (फोटो प्रति संलग्न करें।) -
6. जीएसटी नं. (फोटो प्रति संलग्न करें।)-.....
6. उपलब्ध कैमरों तथा उन्हें संचालित -
- करने वाले उपलब्ध अनुभवी व्यक्तियों
की संख्या (नाम, पता मोबाईल नं. सहित सूची संलग्न करें।)
(विवरण परिशिष्ट - 3 में उल्लेखित है)
- 7 धरोहर राशि का विवरण बैंक/पोस्ट
ऑफिस का नाम -
- बैंक ड्राफ्ट/बैंक चैकर्स नं. -
- बैंक का नाम -
- दिनांक -
- राशि -

निविदाकार के हस्ताक्षर

परिशिष्ट/भाग - 2 (तकनीकी)
बोली (दर) को प्रदर्शित करने वालों पत्रक (ब)
मतदान की वीडियोग्राफी

क्रमांक	कार्य का संक्षिप्त विवरण	खण्डों के अनुसार गठित मतदान केन्द्रों के समूह (संलग्न सूची के अनुसार)	खण्डों अनुसार गठित मतदान केन्द्रों के प्रति खण्ड लगाई गई बोली	
			कार्य दिवस हेतु	बगैर कार्य दिवस हेतु
1	जिला निर्वाचन अधिकारी अथवा उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी के आदेशानुसार जिले के विभिन्न क्षेत्रों में क्रिटिकल घटनाओं एवं मतदान केन्द्रों की वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी	जबलपुर जबलपुर एवं समस्त तहसील विकासखण्डों के लिये		
		जीएसटी राशि		
		कुल राशि		

- मैं/हम सहमत है कि प्रस्ताव निविदा खुलने के दिनांक से एक सप्ताह तक स्वीकृत हेतु वैध रहेगा, जब तक कि किसी अवधि के दौरान मेरे/हमारे द्वारा लिखित रूप से प्रस्ताव वापसी हेतु/जिला निर्वाचन अधिकारी को सूचित नहीं किया जाता।
- बैंक ड्राफ्ट/बैंक चैकर्स नं दिनांक/...../.....राशि को/जिला निर्वाचन अधिकारी के पक्ष में देय है, धरोहर राशि के रूप में संलग्न प्रेषित है। मुझे/हमें स्वीकार है कि धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं है। यदि मेरे/हमारे द्वारा निर्धारित शर्तों/प्रक्रिया का उल्लंघन किया जाता है। तो मेरे/हमारी धरोहर की राशि राजसात् कर ली जावेगी। मैं/हम यह भी घोषणा करते है कि यदि मेरे/हमारी धरोहर की राशि राजसात् नहीं होती है तो उसे मेरी/हमारी निविदा स्वीकृति के उपरांत प्रतिभूति की राशि में समायोजित कर ली जावे।

स्थान - जबलपुर

दिनांक

निविदाकार के हस्ताक्षर

नाम :-

पता :-

परिशिष्ट/भाग - 3

वीडियोग्राफर एवं उनके दल के सदस्यों का व्यक्तिगत विवरण

स. क्रं.	नाम	पिता का नाम	निवासी	मतदान केन्द्र का अनुक्रमांक एवं मतदाता सूची का सरल क्रमांक	हस्ताक्षर

निविदाकार के हस्ताक्षर